संख्या-09 /2022/ 508 /क.नि.प्र./26-3-2022-20(67)/2020

प्रेषक,

सुभाष राम,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0 लखनऊ।

कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ लखनऊ दिनांक: 11 अगस्त, 2022

समाज कल्याण विभाग

विषय:- जनपद संतकबीर के विकास खण्ड-नाथ नगर के कुल 06 ग्रामों यथा-बैरागीपुर, मरवटिया, पियारेपुर, पडरहा, गिठनी एवं बन्धूपुर में विकास कार्य कराये जाने हेतु सब प्लान योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-402/स0क0/विकास/आधारभूत-संतकबीर नगर/(204)/2022-23 दिनांक 29-06-2022 एवं शासनादेश संख्या-3/2022/145/ क.नि.प्र./26-3-2022-20 (67)/2020 दिनांक 31 मार्च, 2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संदर्भ में अवगत कराना है कि शासनादेश दिनांक 31 मार्च,2022 के माध्यम से अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों में आधारभूत सुविधाओं का विकास योजनानतर्गत जनपद संतकबीर के विकास खण्ड-नाथ नगर के कुल 06 ग्रामों यथा- बैरागीपुर, मरवटिया, पियारेपुर, पडरहा, गिठनी एवं बन्धूपुर में विकास कार्य कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 में रू0 258.50 लाख की धनराशि द्वितीय किश्त के रूप में स्वीकृत की गयी थी। उक्त धनराशि समयाभाव के कारण कोषागार से आहरित नहीं की जा सकी थी।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-83 से अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों में आधारभूत सुविधाओं का विकास योजनान्तर्गत जनपद संतकबीर के विकास खण्ड-नाथ नगर के कुल 06 ग्रामों यथा-बैरागीपुर, मरवटिया, पियारेपुर,पडरहा,गिठनी एवं बन्धूपुर में विकास कार्य कराये जाने के संबंध में कुल आगणित लागत रू0 574.42 लाख के सापेक्ष शासनादेश संख्या-13/2021/137/क.नि.प्र./26-2-2021-20(67)/2020 दिनांक 17.03.2020 द्वारा प्रथम किश्त के रूप में स्वीकृत रू0 287.21 लाख के उपभोग के उपरान्त अवशेष धनराशि रू0 287.21

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

लाख में से द्वितीय किश्त के रूप में रू0 258.50 लाख (रू0 दो करोड़ अठ्ठावन लाख पचास हजार मात्र) की धनराशि निम्न विवरण के अनुसार स्वीकृत किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र.स.	जनपद का नाम	विकास खण्ड का नाम	ग्राम का नाम	कार्य का नाम	प्राक्कलन लागत (लाखरू0)	पूर्व स्वीकृत प्रथम किश्त की धनराशि	द्वितीय किस्त हेतु स्वीकृत धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	संतकबीर नगर	नाथ नगर	बैरागीपुर	सी.सी. इंटरलाकिंग रोड, सोलर लाइट एवं नाली निर्माण का कार्य।	133.00	66.50	59.85
2.	संतकबीर नगर	नाथ नगर	मरवटिया	सी.सी. इंटरलाकिंग रोड, सोलर लाइट एवं नाली निर्माण का कार्य।	112.64	56.32	50.59
3.	संतकबीर नगर	नाथ नगर	पियारेपुर	सी.सी. इंटरलाकिंग रोड, सोलर लाइट एवं नाली निर्माण का कार्य।	65.59	32.80	29.51
4.	संतकबीर नगर	नाथ नगर	पडरहा	सी.सी. इंटरलाकिंग रोड, सोलर लाइट एवं नाली निर्माण का कार्य।	93.48	46.74	42.07
5.	संतकबीर नगर	नाथ नगर	गिठनी	सी.सी. इंटरलाकिंग रोड, सोलर लाइट एवं नाली निर्माण का कार्य।	61.08	30.54	27.49
6.	संतकबीर नगर	नाथ नगर	बन्धूपुर	सी.सी. इंटरलाकिंग रोड, सोलर लाइट एवं नाली निर्माण का कार्य।	108.63	54.31	48.89
				योग-	574.42	287.21	258.50

(रू. दो करोड़ अठ्ठावन लाख पचास हजार मात्र)

<u>शर्ते/प्रतिबन्ध:-</u>

1. उक्त स्वीकृति के सापेक्ष पूर्ण कराये जाने वाले अवशेष कार्यो हेतु स्वीकृत आंगणन में इंगित/अनुमोदित दरों के आधार पर पूर्व में नामित कार्यदायी संस्था यू0पी0 सिडको से कार्य कराया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2. प्रश्नगत प्रकरण में स्वीकृत धनराशि को भारत सरकार के दिशानिर्देशानुसार आहरित कर प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पी0एम0-अजय) के अन्तर्गत नामित सिंगल नोडल एजेन्सी के खाते में जमा करायी जायेगी।
3. प्रश्नगत धनराशि को निर्गत किये जाने के संदर्भ में वित्त विभाग के कार्यालय-शासनादेश संख्या-5/2022/बी-1-224/दस-2022-231/2022 दिनांक 07 जून, 2022 में निर्धारित दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
4. प्रयोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी संबंधित अधिकारी की होगी।
5. संबंधित जिलाधिकारी/संबंधित अधिकारी द्वारा उक्त कार्य के संबंध में यह पुष्टि की जायेगी कि यह कार्य पूर्व में अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न ही पूर्व में किया गया है तथा वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित नहीं है।
6. अवमुक्त धनराशि का आहरण दो माह की आवश्यकतानुसार किश्तों में किया जायेगा।
7. बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी। अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्कतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।
8. कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेंटेज चार्ज लिया जायेगा। आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।
9. यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यो की गुणवत्ता उच्चकोटि की हो तथा समय-समय पर सम्पादित कराये जा रहे निर्माण कार्यो की मानीटरिंग भी किया जायेगा।
10. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
11. प्रश्नगत स्वीकृति मानक के संबंध में निदेशालय, समाज कल्याण द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है, यदि मानक के संबंध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका उत्तरदायित्व संबंधित योजना अधिकारी का होगा।
12. परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन न हो। अत: इस संबंध में शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर-212 में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

13. प्रश्नगत धनराशि के आहरण एवं व्यय के दौरान योजना से संबंधित भारत सरकार की गाइडलाइन का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा।
14. योजनान्तर्गत बाट आउट आइटम की श्रेणी से आच्दादित कार्यो हेतु कार्यदायी संस्था को कोई भी सेंटेज चार्ज देय नहीं होगा।

4- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022-2023 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-083-समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अधीन लेखाशीर्षक-4225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0106-अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों में आधारभूत सुविधाओं का विकास (के.100/रा.0-के.)-24-वृहत निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग की बेवसाइड बेवसाइट (http:/finrms.up.gov.in) पर कम्प्यूटर द्वारा उत्पन्न यू0ओ0 संख्या-E-4-125-X-2022-23-दिनांक 22-7-2022 में प्राप्त सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

सुभाष राम
अनु सचिव।

<u>पृ.संख्या-09 /2022/ 508 /(1)/क.नि.प्र./26-3-2022 तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज।
2. संयुक्त सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
3. निदेशक, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
4. जिलाधिकारी,सन्तकबीर नगर।
5. कोषाधिकारी,कैसरबाग,लखनऊ/ कोषाधिकारी जवाहर भवन, लखनऊ/ कोषाधिकारी सन्त कबीर नगर।
6. वित्त नियंत्रक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
7. जिला समाज कल्याण अधिकारी)विकास(, सन्तकबीर नगर।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

8. प्रबन्ध निदेशक, यू.पी. स्टेट कांस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि0 (यू.पी. सिडको) उ0प्र0 लखनऊ।
9. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-4/बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग।
10. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

सुभाष राम
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।